न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या: — 142/2023 प्रार्थना पत्र

GCMS No. — 2023/475

1. देवीलाल पुत्र नारायण जी जाति भील निवासी करथाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
2. नंदलाल पुत्र नारायण जी जाति भील निवासी करथाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
3. कैलाशीबाई पत्नी नारायण जी जाति भील निवासी करथाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
4. काली पुत्री नाथु जी जाति भील निवासी करथाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. वजेराम पुत्र भुराजी जाति भील निवासी करथाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।

— विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955</u>

उपस्थित :— 1— श्री विशाल कुमावत — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2— श्री शम्भूलाल तेली — **अधिवक्ता विपक्षी 1**

:: निर्णय :: दिनांक :— 21.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की आराजियात वाके मौजा करथाना पटवार हल्का बडोली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा की नवीन खाता संख्या 276 की आराजी नं0 505 रकबा 0.3800 हे० आराजी नं0 506 रकबा 0.6700 हैक्टेयर भूमि, आराजी नं0 508 रकबा 0.940 हैक्टेयर भूमि, कुल किता 3 कुल रकबा 1.9900 हे0 स्थित हैं। उक्त आराजीयात नये आराजी नं0 505 के पुराने आराजी नं० 626/359, नये आराजी नं0 506 के पुराने आराजी नं0 359 मी, तथा नये आराजी नं0 508 के पुराने आरा[illegible]58 हैं। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल प्रार्थना [illegible]

2. वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण [illegible] आराजीयात हैं, जिसमें प्रार्थी[illegible] विपक्षी नं० 1 अपने बाप दादा के समय से काबिज हो[illegible] काश्त करते चले आ र[illegible] भेराजी के जीवन काल में ही भेराजी के दो पुत्र नाथु व वजेराम हुवे तथा भेराजी द्वारा उनके जीवन काल में उनके पुत्र नाथु जी व विपक्षी नं0 1 वजेराम के मध्य मौखिक रुप से उनकली सभी जमीन को लेकर बटवारा हो चुका था और बटवारा शुदा जमीन मे से एक बीघा जमीन जो अलग निकाल रखी थी उस जमीन मे नाथुजी व वजेराम का शामलाती हिस्सा था जिसमे से आधा बीघा जमीन वजेराम के हिस्से की थी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:13 IST
Reason: SelfAttested

आधा बीघा नाथुजी के हिस्से की थी। वजेरामजी द्वारा दिनांक 26/06/1986 को अपने हिस्से की बीघा आराजी को 2250/रुपये दो हजार दो सो पचास रुपये नगर प्राप्त कर नाथु जी को विक्रय कर दी जिसका एक बिकाव नाम वजेराम द्वारा दस रुपये के स्टाम्प पर नाथुजी के पक्ष में लिख कर कब्जा वजेरामजी ने नाथु को सुपुर्द कर दिया, नाथु जी वक्त खरीद से उक्त 1 बीघा आराजी पर काबिज चले आ रहे थे नाथुजी के देहान्त के बाद प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज चले आ रहे हैं।

3. प्रार्थीगण की अनपढता एवं अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाने की नियत से विपक्षी नं० 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलकर प्रार्थीगण को धोखा देकर वजेराम द्वारा नाथु जी को विकित शुदा आराजी भी जिस पर प्रार्थीगण नाथु जी के समय से काबिज हैं, उक्त भूमि विपक्षी नं0 1 ने अपने खातेदारी मे दर्ज करा ली जबकि उक्त आराजीया विपक्षी नं० 1 द्वारा अपने भाई को सन 1986 मे ही विक्रय कर दी थी और कब्जा प्रार्थीगण ने० 1 से 3 के पिता व पति को सुपुर्द कर दिया था और उक्त भूमि विपक्षी नं० 1 के हिस्से मे नही रखी, जबकि प्रार्थीगण नं० 1 से 3 सन् 1986 अपने पिता व पति के समय से उक्त 1 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षी नं० 1 को प्रार्थीगण के मौके पर काबिज अनुसार वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण के नाम पूनः खातेदारी में घौषित करा कर, दर्ज कराने हेतु कहा तो विपक्षीगण टाल चाल करने लगे और प्रार्थीगण का मौके पर काबिज अनुसार नवीन आराजी नं0 506 व 508 में पूर्व से पश्चिम मौके पर कब्जे अनुसार भूमि को प्रार्थीगण के नाम घौषित करा कर खातेदारी में दर्ज कराने से इंकार हो गये इसलिए प्रार्थीगण के पिता, पति व भाई नाथु जी द्वारा क्रय शुदा भूमि मौके पर काबिज अनुसार क्रय शुदा आधा बीघा भूमि नवीन आराजी नं0 506 व 508 में पूर्व से पश्चिम मौके पर कब्जे अनुसार प्रार्थीगण के हक हिस्से की वादग्रस्त आराजी की घोषणा वजेरामजी द्वारा नाथुजी को विक्रय की गई उस अनुसार प्रार्थीगण के नाम कराने के अधिकारी हैं, तथा राजस्व रेकार्ड से उक्त विकीत आराजी नं0 506 व 508 में पूर्व से पश्चिम 0.13हे० भूमि मे से विपक्षी नं0 1 का नाम हटवाने की अधिकारी हैं। प्रार्थीगण सन 1986 से उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर मोके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, तथा विपक्षी नं० 1 भी अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं प्रार्थीगण ने अपने क्रय शुदा नवीन आराजी नं0 506 व 508 में पूर्व से पश्चिम मौके पर कब्जे अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में घौषित करा कर इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि का बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स कराने के लिए विपक्षीगण को कहा तो विपक्षीगण टालचाल कर रहे है तथा पूर्व मे हुवे विक्रय के अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार वादग्रस्त भूमि की घोषणा कराने से इंकार हो गये है तथा बटवारा कराने से इंकार हो गये है इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर काबिज अनुसार बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स करा कर विपक्षी नं० 1 से अपना क्रय शुदा नवीन आराजी नं0 506 व 508 में पूर्व से पश्चिम मौके पर कब्जे अनुसार रकबा 0.1300 हेक्टेयर भूमि अलग खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है।

4. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की क्रय शुदा नवीन आराजी नं0 506 व 508 में पूर्व से पश्चिम मौके पर कब्जे अनुसार रकबा 0.1300 हेक्टेयर भूमि पर मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थीगण का कब्जा चला [illegible] और इसी अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले [illegible] प्रार्थीगण ने विपक्षीगणो को वादग्रस्त भूमि का मौके पर का[illegible] के नाम कराने हेतु कहा तो विपक्षीगण टालचाल क[illegible] कराने से इंकार हो गये है तथा वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को उसके क्रय शुदा न[illegible] आराजी नं0 506 व 508 में पूर्व से पश्चिम मौके पर कब्जे अनुसार रकबा 0.1300 हेक्टेयर कब्जे की भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा विपक्षी नं० 1 दिगर लोगो के सिखावे में आकर प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे की भूमि को अपनी होना बताकर वादग्रस्त आराजीयात मे जब जबरन अनाधिकृत रुप से नाजायज कब्जा करने की नियत से नींवे गड्ढे खोद कर खाई लगाकर खंबेगाडकर तारबंदी करने पर आमादा हैं, तथा वादग्रस्त भूमि विपक्षी नं० 1 के नाम दर्ज हो जाने से विपक्षी नं० 1 वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:13 IST
Reason: SelfAttested

रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करना चाहता है प्रार्थीगण एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा समझाने बुझाने पर भी किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नही है इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी है।

5. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भूलाल तेली ने मूल वाद में अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 के वारिसान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वाके मौजा करथाना पटवार हल्का बड़ौली घाटा की खाता संख्या 276 की आराजी नं. 505, 506, 508 कुल किता 3 रकबा 1.99 हेक्टेयर विपक्षीगण की निजी खातेदारी है ना कि विपक्षी की संयुक्त खातेदारी की है। श्री भैरा जी के दो पुत्र नाथु एवं वजेराम हुए। इसके मध्य मौखिक बंटवारा नहीं होकर आपसी सहमति से बंटवारा दिनांक 02–06–2015 में किया हुआ था। यह कि प्रार्थीगणो का कहना है कि विपक्षी द्वारा आधा बीघा जमीन प्रार्थीगण को विक्रय करना बताया गया जो पूर्णतया गलत है क्योंकि इस तरह का विक्रय दिनांक 26–06–1986 को किया हुआ होता तो दोनो सगे भाई सहमति बंटवारे के वक्त रकबे को कम ज्यादा कर बंटवारा करा सकते थे। विपक्षी वजेराम एवं नाथुलाल दोनो सगे भाई थे और दोनो ने ही दिनांक 02–06–2015 में प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत आपसी सहमति से बंटवारा नामा करा लिया। बंटवारे से पूर्व दोनो कि आराजी नं. 247 रकबा 0.7200 हेक्टेयर को संयुक्त रूप से दिनांक 20–02–2011 को विक्रय कर दिया तथा शेष आराजीयात में विधिवत् 1/2 – 1/2 का सहमति बंटवारा करा लिया और उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड कर नक्शे में भी तरमीम करवा ली। इस प्रकार वजेराम जी द्वारा उक्त आराजी के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का कोई विक्रय विलेख या इकरार नामा प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित नहीं किया। इसलिये उक्त दावे में प्रार्थीगण किसी प्रकार की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। उक्त आराजीयात पर पिताजी के समय से ही विपक्षी वजेराम का ही कब्जा चला आ रहा है जबकि वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी वजेराम द्वारा आराजी नं. 506, 507, 508 कुल किता 3 वाके मौजा करथाना पटवारी हल्का बड़ौली घाटा की पत्थरगढ़ी प्रकरण संख्या 102/2022 करवाकर पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का अनाधिकृत कब्जा विपक्षी वजेराम की जमीन पर पाया गया। उक्त पालना रिपोर्ट के आधार पर ही विपक्षी वजेराम द्वारा माननीय न्यायालय तहसीलदार साहब के समक्ष धारा 183 बी राज०का० अधिनियम के तहत प्रकरण विचाराधीन है। उसी को लम्बित कराने के प्रयास में प्रार्थीगणो द्वारा झूठे और मनगढ़त तथ्यों के आधार पर पेश किया एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जो कि प्रकृति के न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध है। वादीगण विपक्षी के खिलाफ किसी भी प्रकार का स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का 0.13 हेक्टेयर भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है तथा ना ही विपक्षी उक्त आराजीयात का कोई भाग विक्रय करने पर आमादा है। इसलिये प्रार्थीगण किसी प्रकार का स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण के पिता नाथु जी के द्वारा कोई भूमि विपक्षी की क्रय नहीं की गयी बल्कि प्रार्थीगणो द्वारा विपक्षी वजेराम जी आराजी पर प्रार्थीगणो ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। जिससे प्रार्थीगण के बजाय विपक्षी को अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के हक में नहीं बनता है तथा प्रार्थीगण किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:13 IST
Reason: SelfAttested

6. भैराजी के क्रमशः दो पुत्र प्रार्थीगण के पिता नाथुलाल जी एवं विपक्षी वजेराम दोनो सगे भाई है तथा प्रार्थीगण के पिता एवं वजेराम जी ने संयुक्त रूप से आराजी नं. 247 रकबा 0.72 हेक्टेयर का वर्ष 2009 में संयुक्त रूप विक्रय कर दिया तथा शेष बची आराजीयात में दिनांक 02–06–2015 को आपसी सहमति बंटवारा कराकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया एवं नक्शे में भी तरमीम करा ली। किन्तु प्रार्थीगण ने विपक्षी गण वजेराम की उम्र एवं स्वास्थ्य का नाजायज फायदा उठाते हुए विपक्षी की आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जो विधि विरूद्ध है तथा

पत्थरगढ़ी की प्रकरण संख्या 102/2022 की पालना रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी वजेराम द्वारा 183 बी राज०का० अधिनियम के तहत माननीय तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा के तहत विचाराधीन है। इसी कार्यवाही को लम्बित करने का असफल प्रयास मात्र किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी नहीं है।

7. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा अपनी साक्ष्य में राजस्व रेकार्ड राजस्व रेकार्ड की प्रतिया पेश की विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण के पिता एवं वजेराम जी ने संयुक्त रूप से आराजी नं. 247 रकबा 0.72 हेक्टेयर का वर्ष 2009 में संयुक्त रूप विक्रय कर दिया तथा शेष बची आराजीयात में दिनांक 02–06–2015 को आपसी सहमति बंटवारा कराकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया एवं नक्शे में भी तरमीम करा ली। किन्तु प्रार्थीगण ने विपक्षी गण वजेराम की उम्र एवं स्वास्थ्य का नाजायज फायदा उठाते हुए विपक्षी की आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जो विधि विरूद्ध है तथा पत्थरगढ़ी की प्रकरण संख्या 102/2022 की पालना रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी वजेराम द्वारा 183 बी राज०का० अधिनियम के तहत माननीय तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा के तहत विचाराधीन है। इसी कार्यवाही को लम्बित करने का असफल प्रयास मात्र किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी नहीं है।

8. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित खाता संख्या भूमि जो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी पेतृक आराजियात है एवं प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का खाता भी अलग अलग है तथा वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

II. <u>अपूरणीय क्षति</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। वादग्रस्त आराजियात के पक्षकारान अलग अलग खातेदार है एवं उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है इसलिए [illegible] क्षति विपक्षी न. 1 के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर [illegible] के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:13 IST
Reason: SelfAttested

III. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का खाता भी अलग अलग है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:13 IST
Reason: SelfAttested